

कार्यालय

मुख्य

अग्नि

शमन

अधिकारी

देहरादून।

पत्रांक नं० 20, असुव्य (551)/21-22

दिनांक जून 9, 2021

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक

राज हंस पब्लिक स्कूल

(RAJ HANSH PUBLIC SCHOOL)

NEW KHASRA NO-815 (ka) 820,821,827,1004 (Ga). 1006

MAUZA MIYAWALA, PARANGAR PARWADUN

जनपद-देहरादून।

सन्दर्भ:-

अग्निशमन एव आपात सेवा उत्तराखण्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये गये यूनिंक नम्बर 47691691 दिनांक 21.06.2021 के सम्बन्ध में।

आपके विद्यालय का निरीक्षण अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक 24-06-2021 में आपके विद्यालय में स्थापित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सन्तोषजनक इंगित करते हुये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान करने की संस्तुति की है।

अतः प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी देहरादून को निरीक्षण आख्या दिनांक 24-06-2021 के आधार पर आपके विद्यालय हेतु दिनांक 30-06-2021 से 29-06-2022 तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का प्रमाण-पत्र प्रति वर्ष लिया जाना अनिवार्य होगा। निर्देशित किया जाता है कि भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अलग से अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगे एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव उच्च स्तर पर रखेंगे। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा। अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ न पाये जाने अथवा अकार्यशील दशा में पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(अग्नि सुरक्षा अधिकारी)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
देहरादून।